मा0 एन0जी0टी0 द्वारा M.A. No.-34/2023 in Original Application No. 798/2022 ममता चौरसिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा मूल आवेदन सं0–538/2022 स्वर्ण सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 के अनुपालन में आयोजित सुनवाई दिनांक 21.02.2024 का कार्यवृत्त।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा M.A. No.-34/2023 in Original Application No. 798/2022 ममता चौरसिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा मूल आवेदन सं0–538/2022 स्वर्ण सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.10.2023 के अनुपालन में 04 अनुज्ञाधारकों को, जिन्हें उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.10.2023 को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33A एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31A के अन्तर्गत अवैध खनन पाये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, की सुनवाई दिनांक 21.02.2024 को सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सुनवाई में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी एवं अनुज्ञाधारकों/उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. डा0 डी0 के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी (विडियो क्राफ्रेसिंग द्वारा)।
3. डा0 राजेन्द्र सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. श्री गौरव कथूरिया (प्रतिनिधि श्री कृपाल सिंह, अनुज्ञाधारक)।
5. श्री भूपेन्द्र पाल (प्रतिनिधि श्री करम सिंह, अनुज्ञाधारक)।
6. श्री सतीश कुमार (प्रतिनिधि श्री सुभाष चन्द्र, अनुज्ञाधारक एवं श्री हिम्मत सिंह, अनुज्ञाधारक)।
7. श्री हिमांशु (प्रतिनिधि श्री सुभाष चन्द्र, अनुज्ञाधारक)।

1. सर्वप्रथम सदस्य सचिव की अनुमति से सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए वैज्ञानिक अधिकारी, डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों तथा उक्त के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया। वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संयुक्त कमेटी की निरीक्षण आख्या के आधार पर अवैध खनन की मात्रा पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–360/2015 एवं 18 अन्य प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किया गया तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33A एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31A के अन्तर्गत 04 अनुज्ञाधारकों को कारण बताओ नोटिस निर्गत किये गये हैं। अवैध खनन की मात्रा को जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारकों को अवैध खनन के सम्बन्ध में निर्गत नोटिस के अनुसार ली गयी है जिसे मूल आवेदन संख्या–538/2022 स्वर्ण सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं M.A. No. 34/2023 in O.A. No. 798/2022 ममता चौरसिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में गठित में संयुक्त कमेटी द्वारा भी यथावत रखा गया है।

2. सदस्य सचिव द्वारा अनुज्ञाधारकों/प्रतिनिधियों को राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में अपना–अपना पक्ष रखने हेतु आमंत्रित किया गया। अनुज्ञाधारकवार विवरण निम्नानुसार है:–

   i) श्री कृपाल सिंह के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि **श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर** को ग्राम सेमलचौड़,

तहसील कालाढुंगी, नैनीताल में होटल निर्माण के बेसमेन्ट पार्किंग हेतु बेसमेन्ट खुदाई से निकलने वाले कुल 1,44,693.0 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी हेतु अनुमति जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा दिनांक 22.10.2021 को निर्गत की गई थी तथा लीजधारक द्वारा उक्त के अनुसार ही आर0बी0एम0 की निकासी की गई। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी द्वारा पूर्व में 25.11.2021 एवं 27.12.2021 को किये गये निरीक्षणों के आधार पर अवैध खनन की मात्रा निर्धारित की गई है। दिनांक 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण में लीज़ धारक अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। अतः उक्त निरीक्षण को आधार मानना उचित नहीं है। अनुज्ञाधारक के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी द्वारा आरोपित पेनाल्टी के विरूद्ध अनुज्ञाधारक द्वारा अधिकृत प्राधिकारी के समक्ष अपील की गई। अपील में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अवैध खनन की गणना में Swell Factor -1.6 के मानक निर्धारण की प्रास्थिति (अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 से प्रभावी) को देखते हुए जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अवैध खनन की मात्रा पर निर्धारित किये गये Swell Factor - 1.6 को अप्रभावी मानते हुए अवैध खनन की मात्रा 77,382 घन मीटर (139278.6 टन) आंकलित की गयी। लीज़धारक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि चूंकि लीज़धारक द्वारा होटल के बेसमेन्ट निर्माण हेतु खनन किया गया, अतः उक्त पर अवैध खनन का मापदण्ड आरोपित किया जाना उचित नहीं है। यद्यपि लीज़धारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/प्रमाण जैसे स्थापनार्थ सहमति/उद्योग विभाग से निर्गत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। लीजधारक द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक शून्य (प्राप्ति 12.01.2024) एवं दिनांक 21.02.2024 इस कार्यालय में जमा किया गया है।

ii) श्री करम सिंह के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि **श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़, बैलपड़ाव, तहसील कालाढुंगी, जिला नैनीताल** को जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा दिनांक 22.10.2021 को ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढुंगी, जिला नैनीताल में 0.241 है0 भूमि से 35214 घन मीटर आर0बी0एम0 निकासी की अनुमति निर्गत की गई थी। संयुक्त कमेटी द्वारा पूर्व में किये गये निरीक्षणों को ही आधार मानते हुए अवैध खनन की मात्रा निर्धारित की गई, जबकि उक्त निरीक्षण के समय लीज़धारक अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। लीज़धारक पर जिलाधिकारी द्वारा आरोपित पेनाल्टी ₹ 8,79,944.00 दिनांक 30.12.2023 को जमा कर दी गयी है। चूंकि लीज़धारक द्वारा होटल के बेसमेन्ट निर्माण हेतु खनन किया गया, अतः उक्त पर अवैध खनन का मापदण्ड आरोपित न किया जाय। यद्यपि लीज़धारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/प्रमाण जैसे स्थापनार्थ सहमति/उद्योग विभाग से निर्गत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। लीज़धारक द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 01.03.2023 इस कार्यालय में जमा किया गया है।

iii) श्री हिम्मत सिंह के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि **श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढुंगी, जिला नैनीताल** को उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 12.11.2021 द्वारा ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढुंगी, जिला नैनीताल के क्षेत्रान्र्गत (कुल रकवा 2.337 है0) निजी नाप भूमि में समतलीकरण हेतु 2,24,352 घनमीटर उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) की निकासी की अनुमति प्रदान की गयी थी। लीजधारक द्वारा अनुज्ञा के अनुसार ही उपखनिज निकासी का कार्य किया गया। जिलाधिकारी द्वारा आरोपित अवैध खनन की मात्रा का आंकलन के विरूद्ध अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड शासन में अपील की गयी थी। अपील में जिलास्तर पर आंकलित उपखनिज की मात्रा में Swell Factor -1.6 को निष्प्रभावी मानते हुए अवैध खनन की मात्रा 22,916 घनमीटर (41,248.8 टन) निर्धारित की गयी। लीजधारक के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा निजी नाप भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु किया गया जो अवैध खनन की श्रेणी में नहीं आता

है। लीज़धारक द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 22.02.2024 इस कार्यालय में जमा किया गया है।

iv) श्री सुभाष चन्द के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा **श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री टीकाराम निवासी दुर्गापालपुर, मोतीराम तहसील लालकुंआ जिला नैनीताल** को ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालाढुंगी, जनपद नैनीताल में 2.470 है0 भूमि को समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिज की निकासी हेतु छः माह की अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी। उक्त क्रम में उपखनिज की मात्रा 2,76,640 घन मीटर आंकलित की गयी। जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा अवैध खनन की मात्रा का आंकलन Swell Factor -1.6 मानते हुए 1,74,400 घन मीटर आंकलित कर जुर्माना आरोपित करते हुए नोटिस प्रेषित किया गया। उक्त नोटिस के विरूद्ध अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड शासन में अपील की गयी। अपील में Swell Factor -1.6 को अप्रभावी मानते हुए अवैध खनन की मात्रा 81,160 घन मीटर (1,46,088 टन) निर्धारित की गयी। लीजधारक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन के आदेश को संशोधित करने हेतु उनके द्वारा पुनः शासन में आवेदन किया गया है। यद्यपि लीजधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कोई प्रमाण/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। लीजधारक के प्रतिनिधि द्वारा यह अनुरोध किया गया कि मा0 एन0जी0टी0 का आदेश जिसके आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किया गया वह अवैध खनन से सम्बन्धित है। जबकि लीजधारक द्वारा मात्र समतलीकरण का कार्य किया गया जो अवैध खनन की श्रेणी में नहीं आता है। लीज़धारक द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 22.02.2024 इस कार्यालय में जमा किया गया है।

3. लीजधारकों के प्रतिनिधियों की सुनवाई एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा M.A. No. 34/2023 in O.A. No. 798/2022 ममता चौरसिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में गठित में संयुक्त कमेटी की निरीक्षण आख्या के दृष्टिगत में विषयगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

i) चूंकि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–538/2022 स्वर्ण सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में संयुक्त कमेटी द्वारा अवैध खनन की मात्रा आंकलित की गयी थी एवं निरीक्षण आख्या दिनांक 17.01.2023 को मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जा चुकी है। अग्रेतर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा M.A. No. 34/2023 in O.A. No. 798/2022 ममता चौरसिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में गठित में संयुक्त कमेटी द्वारा विषयगत प्रकरण में उपरोक्त 04 अनुज्ञाधारकों द्वारा किये गये अवैध खनन की मात्रा का आंकलन कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती आंकलित की गयी है तथा उक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 14.08.2023 को मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की गयी है। अतः संयुक्त कमेटी की निरीक्षण आख्याओं के आधार पर आंकलित अवैध खनन की मात्रा एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती को परिवर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना समीचीन है कि भौगोलिक दृष्टि से तराई/भाबर का क्षेत्र अधिकतर समतल होता है। विषयगत क्षेत्र के समीप कोई नदी/नाला न होने से आर0बी0एम0 के एकत्र होने की सम्भावना नहीं है।

ii) अनुज्ञाधारक श्री कृपाल सिंह एवं श्री करम सिंह का यह कथन की उनके द्वारा होटल निर्माण हेतु बेसमेंट की खुदाई से निकलने वाले उपखनिज की अनुमति ली गयी थी, अतः उन लीजधारकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन उद्योगों में उल्लंघन के मामलों में आरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अनुसार किया जाये, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त बेसमेंट खुदाई एवं उपखनिज का परिवहन सम्बन्धी प्रक्रिया "खनन प्रक्रिया" में आती है तथा उनके द्वारा होटल निर्माण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वांछित स्थापनार्थ सहमति

प्राप्त नहीं की गयी एवं न ही उक्त हेतु आवेदन किया गया। अनुज्ञाधारकों द्वारा होटल निर्माण के सम्बन्ध में किसी अन्य विभाग द्वारा निर्गत दस्तावेज/प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः श्री कृपाल सिंह एवं श्री करम सिंह का अनुरोध अस्वीकार योग्य है।

तद्नुसार सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
E-mail : msukpcb@yahoo.com

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–296(Vol.-II)/2024/192, दिनांक 14.05.2024

SPEED POST

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर।
2. श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़, बैलपड़ाव, तहसील कालाढुंगी, जिला नैनीताल।
3. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढुंगी, जिला नैनीताल।
4. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीकाराम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुंआ, जिला नैनीताल।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर।
7. पत्रावली सा0–183–622(ओ0ए0 नं0 538/2022 स्वर्ण सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य सम्बन्धी पत्रावली में)।

सदस्य सचिव